राजस्थान सरकार
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

क्रमांक एफ. 3(2)/वित्त/साविलेनि/2020 जयपुर, दिनांक: 22.07.2025

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.8 (6)/एफडी/एसपीएफसी/ परिपत्र/2023 दिनांक 07.10.2024 एवं वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5 (थ–75)डीटीए/IFMS/WAM/5912 दिनांक 02.01.2025 के अधिक्रमण में आंशिक संशोधन करते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को न्यूनतम करने एवं निर्माण कार्यों के समयबद्ध रूप से संपादन करने की दृष्टि से, प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

1. संकर्म (Works) के मामलों में उपापन हेतु कार्य अनुसार अनुमानित लागत के निर्धारण उपरांत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–। के नियम 286 एवं 287 तथा तत्संबंधित SoP में निर्धारित सक्षमता के आधार पर एक साथ जारी की जावेगी।
2. प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को IFMS Portal पर अपलोड कर एक यूनिक AS-FS-ID जारी की जावेगी।
3. उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आधार पर उपापन प्राधिकारी द्वारा निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी।
4. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आधार पर जारी तकनीकी स्वीकृति एवं BOQ के अनुसार की गयी उपापन प्रक्रिया के उपरांत निविदा में प्राप्त दरों (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से निम्न दरें प्राप्त होने पर) के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा IFMS पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को तद्नुसार संशोधित कर सिस्टम से कार्यादेश जारी करने वाली अधिकृति के स्तर पर ही एक Sanction ID सिस्टम से जनरेट करने के उपरांत कार्यादेश जारी किया जा सकेगा। यह Sanction ID BOQ एवं Non-BOQ राशि के योग के बराबर जारी की जावेगी।
5. परन्तु, निविदा में प्राप्त दरें यदि अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होती है तो उस स्थिति में आवश्यकतानुसार SoP में निर्धारित सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

6. वृहत् निर्माण कार्यों (Major Works) के मामलों में वित्त विभाग की विशिष्ट सहमति (specific concurrence) लिया जाना पूर्ववत आवश्यक होगा।

7. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय ही कार्य को विभिन्न वर्गों में (जिसके अनुसार एकाधिक तकनीकी स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित हो) वर्गीकृत किया जाना तथा इसके अन्तर्गत स्वीकृत किये जा रहे कार्यों, उनकी अनुमानित लागत तथा उन्हें पूर्ण किये जाने की अवधि का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

8. निर्माण कार्यों से संबंधित Online MB (Measurement Book) प्रोसेस को IFMS 3.0 से सम्बद्ध किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत Excess/Extra Items हेतु PWF&AR की SoP एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 73 के अनुसार प्रावधान उपलब्ध रहेंगे।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(मनीष माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–

1. अति.मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर ।
6. निदेशक, वित्त (बजट) राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय 1, 2, 3, 4 एवं 5) विभाग।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
9. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियंता, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
11. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
12. कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी समस्त ।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, सचिवालय, जयपुर।
14. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी) एन.आई.सी. (ट्रेजरी) वित्त भवन, जयपुर।
15. तकनीकी निदेशक (आई.टी.), एनआईसी (वॉम) वित्त भवन, जयपुर।
16. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
17. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।

संयुक्त शासन सचिव

(PWF&AR -108/2025)